

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

आसूचना सं. 43/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 12 सितंबर, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतर्गत जारी आसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा आसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निर्माणाखत तालिका के स्तंभ (3) म उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) म उल्लेखित नोटिसों के संबंध म उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) म उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग व कतव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) म उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप म काय करने के लिए नियुक्त करते ह

तालिका

क्र.	नोटिसों का नाम एवं पता	दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै लैनक्सेस इंडिया प्रा. लि., लैनक्सेस हाउस, प्लॉट सं. A-162-164, रोड सं. 27, एमआईडीसी, वागले इस्टेट, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र-400604.	फा. सं. DRI/KZU/ CF/Enq-192(Int-09)/ 2018 दिनांक 26.07.2019, दिनांक 04.09.2019 के शुद्धिपत्र के साथ पठनीय.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	अपर महानिदेशक (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

[. . . DRI/HQ-CI/50D/CAA-36/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) म वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों को मामले के न्याय निणयन हेतू।
2. तालिका के स्तंभ (4) म वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारों।
3. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-कोलकाता को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबन्धित कारण बताओ नोटिस के नोटिसी को समान न्याय निणयनन अधिकारों को नियुक्ति के बारे में सूचित कर। यह भी निवेदन है कि वे केस फाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस को अभिस्वीकृत (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारों को भेज दे